न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-1164/2026
राजीव कुमार मिश्रा बनाम बिहार सरकार
[मुफस्सिल थाना कांड संख्या 82/2026]
आदेश

06.06.2026 आवेदक/अभियुक्त **राजीव कुमार मिश्रा पे0 परमहंस मिश्रा** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1164/2026, मुफस्सिल थाना कांड संख्या 82/2026, अंतर्गत धारा– 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि सूचिका की जमीन जिसका खाता नं0 60 सर्वे नं0 323 रकबा 11 कट्टा 11 धुर जमीन में से 9 कट्ठा बेचने की बात पंकज कुमार से तीन लाख रूपए कट्ठा के हिसाब से 27 लाख रूपए में तय हुई थी। लेकिन पंकज कुमार जो जमीन की दलाली करता है उसकी बुरी नियत आवेदिका के उपरोक्त जमीन पर थी। उसने 11 कट्टा 11 धुर वाले प्लॉट में से 9 कट्ठा जमीन न लिखवाकर आवेदिका की Valuable एवं रोख की जमीन जो करोड़ो की संपत्ति है उसे जान बुझकर अपने नाम वो राजीव कुमार मिश्रा एवं पंकज कुमार ने अपने फायदा उठाने के लिए और आवेदिका को नुकसान पहुंचाने के लिए यह जाली फरेबी बिना जरसमन का धोखा देकर कागज बजूद में लाया है जिसकी पाबंदी रिता देवी पर नहीं है और न हो सकती है, क्योंकि पंकज कुमार भादा खुर्द का ही रहने वाला व्यक्ति है। आवेदक को चाची कहकर संबोधित करता है और फ्रॉड भी चाची के साथ किया। पंकज कुमार दलाली करता है। आवेदक रिता देवी के साथ भी घोर अन्याय और जालसाजी भी उपरोक्त दोनों व्यक्तियों ने किया है। जमीन लिखाने की बात कोई और हुई थी और उसने लिखवाया कोई और जमीन। जिससे स्पष्ट है कि यह धोखाधड़ी जान बुझकर दो पेपर तैयार कराया गया। एक पेपर दिखाया गया तथा दूसरा जो लिखवाना था। उसे छुपाया गया और रजिस्ट्री के समय रजिस्टार के सामने वहीं पेपर जिसकी बात नहीं थी। प्रस्तुत किया गया। बाद में आवेदिका को षडयंत्र की जानकारी हुई तो फोन किया गया तो पंकज कुमार फोन उठाना बंद कर दिया जिसके कारण राजीव कुमार मिश्रा एवं पंकज कुमार के विरूद्ध यह मामला पंजीकृत कराया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह कहा गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। आवेदक की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भै विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दायर नहीं किया गया है। आवदेक का अतीत साफ है और उसके खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदक के विरूद्ध यह मामला सिर्फ दबाव बनाने के लिए पंजीकृत कराया गया है। आवेदक के द्वारा सूचिका के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं किया गया है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा गया है कि आवेदक द्वारा

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-1164/2026
राजीव कुमार मिश्रा बनाम बिहार सरकार
[मुफस्सिल थाना कांड संख्या 82/2026]

06.06.2026

लगातार कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है किंतु प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी मुफस्सिल थाना कांड संख्या 82/2026, अंतर्गत धारा– 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदक के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा आवेदक के विरूद्ध सूचिका की अचल संपत्ति 9 कट्टा जमीन, जिसकी कीमत करोड़ो में है, को विलेख के माध्यम से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है तथा प्रस्तुत मामले में आवेदक के विरूद्ध अभी अनुसंधान जारी है। सूचिका की बहुत अधिक मूल्यवान संपत्ति है। आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **राजीव कुमार मिश्रा** के तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 02.05.2026 को उपरोक्त के आलोक में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 06.06.2026

Date of Order/Judgment	06.06.2026
Date of Reserving Order/Judgment	06.06.2026
Uploading Date	10.06.2026
Uploaded By	RAVI KANT